



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक / प्रशा. / दो.प.हेल्मेट / 2022 / 1094

इन्दौर 452001
दूरभाष : 2523530
दिनांक 22 NOV 2022

// आदेश //

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के समस्त विभागाध्यक्ष, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है, कि श्री अनिल पाटीदार, अति.पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन महानगर, इन्दौर से प्राप्त पत्र क्र./अ.पु.आ./याता/इन्दौर/652/2022 दिनांक 19.10.22 के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं, कि आप अपने स्कूल/कॉलेज में कार्यरत समस्त स्टाफ एवं ड्रायविंग लायसेंस शुदा छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को स्कूल/कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने तथा साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र/छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरुद्ध करने बावत् सख्त हिदायत दी जावे एवं छात्रों/अभिभावकों के मध्य व्यापक प्रचार किया जाये।

कृपया विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष एवं विभाग प्रमुख कृपया उक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक 22 NOV 2022

पृ. क्रमांक / प्रशा. / दो.प.हेल्मेट / 2022 / 1094

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख, समस्त अ.शा./संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. श्री अनिल पाटीदार, अति. पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन महानगर, एम.टी.एच. कम्पाउण्ड, इन्दौर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
3. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर नालन्दा परिसर की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपतिजी / कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।
5. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उपकुलसचिव(प्रशासन)

RA

श्रीमती धरणी वाम
31-10-22

DR (Traffic)
DR (Traffic)

DR (Traffic)
Gair
21-10-22



कार्यालय अति.पुलिस उपायुक्त यातायात महानगर इंदौर
एम.टी.एच कम्पाण्ड इंदौर (म.प्र.)

(E-Mail -asptrafficingindore@gmail.com)

क्रमांक/ अ.पु.आ. / याता / इंदौर / 852 / 2022

दिनांक 19 / 10 / 2022

प्रति,

..... प्रोफेसर रेगुलेन मेडुम
..... कुलपति DAVV

विषय:- दो-पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने के संबंध में।

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दो-पहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

अतः आप अपने स्कूल/कॉलेज में कार्यरत समस्त स्टाप एवं ड्रायविंग लायसेंस शुदा छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को स्कूल/कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने तथा साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरुद्ध करने बावत् सख्त हिदायत दी जावे एवं छात्रों / अभिभावकों के मध्य व्यापक प्रचार करें।

(अनिल पाटीदार)
अति. पुलिस उपायुक्त
यातायात प्रबंधन महानगर इंदौर

